न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

म्यूटेशन रिविजन वाद सं0–04/2021–22

इन्द्रनील चटर्जी एवं अन्य

बनाम

कल्पना त्रिवेदी एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह रिविजनवाद, रिविजनकर्त्ता (1) इन्द्रनील चटर्जी (2) झूलन चटर्जी दोनो के पिता–स्व0 रंजीत चटर्जी एवं (3) बीना चटर्जी, पति–स्व0 रंजीत कुमार चटर्जी, सभी का सा0–हरिणडांगा बाजार, कलपाड़ा, थाना–पाकुड़ (नगर), जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय के दाखिल–खारिज अपीलवाद सं0–12/2020–21 में दिनांक–05.04.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध (1) कल्पना त्रिवेदी, पति–प्रभात कुमार त्रिवेदी, सा0–राजापाड़ा, थाना–पाकुड़ (नगर), जिला–पाकुड एवं झारखण्ड राज्य को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है।

मामला संक्षेप में यह है कि पाकुड़ अंचल के मौजा–पाकुड़ नं0–128 के जमाबंदी सं0–493/10क के दाग सं0–1402 अन्तर्गत रकवा 02–03–11 धुर जमीन का नामान्तरण अपने नाम से करने हेतु रंजीत कुमार चटर्जी, पिता–स्व0 बिनय कुमार चटर्जी (इस वाद के रिविजनकर्त्ता 01 एवं 02 के पिता एवं 03 के पति) के द्वारा अंचल कार्यालय, पाकुड़ में ऑन लाईन आवेदन दिया गया। ऑन लाईन म्यूटेशन वाद सं0–2772R27/2019-20 में दिनांक–19.09.2019 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण रंजीत कुमार चटर्जी के नाम से किया गया। अंचल अधिकारी, पाकुड़ के उक्त आदेश के विरूद्ध कल्पना त्रिवेदी (इस वाद की उत्तरवादी सं0–01) के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय में अपील आवेदन दाखिल किया जाता है, जिसके आधार पर दाखिल खारिज अपील वाद

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

सं0–12/2020–21 संस्थित कर सुनवाई की गई तथा दिनांक–05.04.2021 को पारित आदेश द्वारा अंचल अधिकारी, पाकुड़ के उक्त आदेश दिनांक–19.09.2020 को खारिज करते हुए कल्पना त्रिवेदी (इस वाद की उत्तरवादी सं0–01) एवं रंजीत चटर्जी (इस वाद के रिविजनकर्त्ता 01 एवं 02 के पिता एवं 03 के पति) के संयुक्त नाम से नामान्तरण करने का आदेश अंचल अधिकारी, पाकुड़ को दिया गया। यह रिविजन आवेदन निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

इस वाद में दिनांक–21.01.2022 को अमियों रानी मुखर्जी, पति–बानी प्रसन्ना मुखर्जी, शमशान घाट रोड़, चिरागोरा, धनबाद के द्वारा एक Intervenor Petition दाखिल कर इस वाद में उन्हें पक्षकार बनाने का अनुरोध किया गया। Intervenor Petition स्वीकृत उन्हें पक्षकार बनाया गया।

उभय पक्ष एवं Intervenor के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया। रिविजनकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय में दाखिल–खारिज अपील वाद सं0–12/2020–21 में रंजीत चटर्जी अकेले उत्तरवादी थे। उनकी मृत्यु दिनांक–08.05.2021 को हो जाने के कारण उनके दो पुत्रों एवं पत्नी के द्वारा यह रिविजन आवेदन दाखिल किया गया है। प्रश्नगत दाग़ सं0–1402 अन्तर्गत रकवा 02–03–11 धुर जमीन रिविजनकर्त्ता 01 एवं 02 के परदादा अनुकुल चन्द्र चटर्जी की थी। अनुकुल चन्द्र चटर्जी की मृत्यु के बाद प्रश्नगत भूमि उनके तीन पुत्रों बिनय कुमार चटर्जी, सुशील कुमार चटर्जी एवं सुबोध कुमार चटर्जी के दखल भोग में आई। बाद में एक Amicable Family Settlement के जरिए उक्त भूमि विनय कुमार चटर्जी को प्राप्त हुई। विनय चटर्जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उनके पुत्र रंजीत चटर्जी को प्राप्त हुई एवं उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि का वास्तविक एवं भौतिक रूप से भोग–दखल किया जाता रहा। उत्तरवादी सं0–01 कल्पना त्रिवेदी, स्व0 रंजीत चटर्जी की बहन है। कल्पना त्रिवेदी द्वारा प्रश्नगत भूमि का कभी दखल–भोग नही किया गया। कल्पना त्रिवेदी की शादी प्रभात

Scanned with CamScanner

देश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

कुमार त्रिवेदी के साथ हुई एवं शादी के बाद वो अपने ससुराल में ही रहती है। दाखिल खारिज के मामले में दखल–कब्जा महत्वपूर्ण होता है एवं प्रश्नगत भूमि पर रिविजनकर्त्ता 01 एवं 02 के पिता रंजीत चटर्जी का जीवन काल तक दखल कब्जा रहा। इस आधार पर अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा रंजीत चटर्जी के नाम से किया गया नामान्तरण बिल्कुल सही है एवं इसमें कोई अवैधता नहीं है। उत्तरवादी सं0–01 कल्पना त्रिवेदी, हिन्दू स्कूल ऑफ लॉ के दायभाग के अन्तर्गत आती है। दायभाग में पुत्रियों को सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है।

दिनांक–27.10.2011 को रंजीत चटर्जी एवं दुर्गा रानी बनर्जी के पुत्र एवं पुत्री रजत बंगोपाध्याय, माला मुखर्जी एवं नीला भट्टाचार्या तथा अमीयों रानी मुखर्जी के बीच एक Amicable Family Settlement सम्पन्न हुआ, जिसमें प्रश्नगत दाग सं0–1402 की भूमि रंजीत कुमार चटर्जी को प्राप्त हुई। स्व0 रंजीत चटर्जी की बहन कल्पना त्रिवेदी के द्वारा दिनांक–29.09.1990 में ही एक नादाबीनामा निष्पादित किया गया था, जिसके अनुसार उनके द्वारा अपने पैत्रिक चल–अचल सम्पत्ति पर अपना दावा छोड़ दिया गया। उक्त नादाबीनामा में कल्पना त्रिवेदी द्वारा यह लिखा गया है कि मैं अपने पिता से बहुत रूपया प्रायः 50 से 60 लाख पाई हूँ एवं इसके बदले में उनके द्वारा पैत्रित सम्पत्ति पर अपना दावा छोड़ा गया। इस प्रकार उत्तरवादी सं0–01 एवं Intervenor की ओर से प्रश्नगत भूमि पर अपना हिस्सा होने का दावा किया जा रहा है। सम्पत्ति का बंटवारा, हिस्सा, स्वत्व का निर्धारण केवल व्यवहार न्यायालय में हो सकता है। प्रश्नगत भूमि को लेकर माननीय सिविल जज–1 पाकुड़ के न्यायालय में टाईटल सुट सं0–15/2020 लंबित है। उनका आगे कहना है कि बंटवारा सम्पत्ति का हस्तांतरण नही है। बंटवारा Transfer of Property Act की धारा 5 के अन्तर्गत Transfer नही है। अतः इसका निबंधन आवश्यक नहीं है। सम्पत्ति का समर्पण एवं परित्याग को भी हस्तांतरण नही माना गया है। अतः रंजीत कुमार चटर्जी के पक्ष में कल्पना त्रिवेदी एवं अमियों रानी मुखर्जी के द्वारा प्रश्नगत भूमि का सर्मपण एवं परित्याग कोई हस्तांतरण नहीं है। अतः इसका निबंधन आवश्यक नही है। निम्न न्यायालय द्वारा उक्त

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	तथ्यों को बिल्कुल नजर अंदाज किया गया एवं सिविल कोर्ट की तरह उत्तराधिकार, हक एवं स्वत्व के संदर्भ में विचार कर आदेश पारित किया गया, जो उनके क्षेत्राधिकार के बाहर है। उनके द्वारा रिविजन आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। उत्तरवादी सं0–01 कल्पना त्रिवेदी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत दाग सं0–1402 अन्तर्गत रकवा 02–03–11 धुर जमीन सर्वे खतियान में अनुकुल चन्द्र चटर्जी के नाम से दर्ज है। अनुकुल चन्द्र चटर्जी के तीन पुत्र विनय कुमार चटर्जी, सुशील कुमार चटर्जी एवं सुबोध कुमार चटर्जी हुए। सुबोध कुमार चटर्जी की मृत्यु नावल्द हो गई। विनय कुमार चटर्जी को एक पुत्र रंजीत चटर्जी एवं एक पुत्री कल्पना चटर्जी उर्फ त्रिवेदी हुई। जबकि सुशील कुमार चटर्जी को केवल दो पुत्रियाँ दुर्गारानी चटर्जी उर्फ बनर्जी एवं अमियो रानी चटर्जी उर्फ मुखर्जी हुई। उक्त सम्पत्ति का कभी भी बंटवारा नहीं हुआ है। उत्तरवादी स0–01 हिन्दू उत्तराधिकारी कानून के दाय भाग स्कूल से आते हैं। रिविजनकर्त्ता द्वारा दाखिल Amicable Family Settlement एवं नादावीनामा संबधी कागजात फर्जी है। उक्त कागजात अनिबंधित है एवं कानून की नजर में इसकी कोई मान्यता नहीं है। Amicable Family Settlement संबधी कागजात पर उत्तरवादी स0–01 का हस्ताक्षर नहीं है तथा उक्त Settlement के सभी पक्षकारों का हस्ताक्षर की प्रत्येक पृष्ठ पर नहीं है। नादावीनामा संबधी कागजात की तिथि के समय विनय कुमार चटर्जी जीवित थे। उनका हस्ताक्षर भी उक्त कागजाता पर नहीं है। हिन्दू सक्सेशन एक्ट 1956 (2005 as amended) के अनुसार पिता की सम्पत्ति पर पुत्री का भी बराबर का अधिकार है। 2009(5) ALD 579 में दर्ज न्यायालय निर्णय के अनुसार "An Unregistered relinquishrdent deed is not admissible in eridence for want of registration U/S 17 of the Indian Registration Act" स्पष्ट है कि उक्त अनिबंधित दस्तावेजों की कानून में कोई मान्यता नहीं है। उनका आगे कहना

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	है किएक Co-sharer का दखल सभी Co-sharer का दखल माना जाता है। AIR 1971 SC 376 में दर्ज न्यायालय निर्णय के अनुसार Co-sharer का Possession Address नहीं हो सकता है। प्रश्नगत भूमि पर अनुकूल चन्द्र चटर्जी का वंशज एवं वैद्य उत्तराधिकारी होने के आधार पर उत्तरवादी स0–01 का हक एवं अधिकार है। प्रश्नगत भूमि एक संयुक्त सम्पत्ति है एवं पूर्व में कभी इसका बंटवारा नहीं हुआ है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा The Bihar Tenant's Holding (Maintenance of record) Act-1973 की धारा 14 का अनुपालन नहीं किया गया एवं प्रश्नगत भूमि के सभी हित सम्बद्ध व्यक्तियों को नोटिस निर्गत नहीं किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा तथ्यों की सही विवेचना करते हुए आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा रिविजन आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया। Intervener के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि खतियान में अनुकूल चन्द्र चटर्जी के नाम से दर्ज है। अनुकूल चन्द्र चटर्जी के तीन पुत्र बिनय कुमार चटर्जी, सुशील कुमार चटर्जी एवं सुबोध कुमार चटर्जी हुए। सुबोध कुमार चटर्जी की मृत्यु नावल्द हो गई। सुशील कुमार चटर्जी की दो पुत्रियाँ दुर्गा रानी चटर्जी एवं अमियो रानी मुखजी (Intervener) हुई। रिविजनकर्त्ता 01 एवं 02 बिनय कुमार चटर्जी के पुत्र रंजीत चटर्जी के पुत्र है जबकि रिविजनकर्त्ता 03 रंजीत चटर्जी की पत्नी है। उत्तरवादी स0–01 रंजीत चटर्जी की बहन एवं बिनय कुमार चटर्जी की पुत्री है। उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों को रखा गया है जो उत्तरवादी स0–01 के द्वारा रखा गया है। उनके द्वारा भी Amicable Family Settlement को गलत एवं फर्जी बताया गया। उनका अलग से ये कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं थी। जब अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा LPC के संदर्भ में नोटिस निर्गत किया गया तब जाकर उन्हें मामले की जानकारी प्राप्त हुई एवं Intervener Petition दाखिल किया गया। उनके द्वारा स्वयं को खतियानी रैयत अनुकूल चन्द्र चटर्जी का वारिस	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

बताते हुए निम्न न्यायालय के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनका नाम भी पंजी-II में जोड़े जाने का अनुरोध किया गया।

संपूर्ण अभिलेख का तथा पक्षकारों द्वारा दाखिल कागजातों एवं निम्न न्यायालय के आदेश का गहनतापूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। सभी पक्षों की दलीलों एवं दाखिल कागजातों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत दाग सं0–1402 अन्तर्गत रकबा 02–03–11 धुर भूमि सर्वे खतियान में अनुकूल चन्द्र चटर्जी के नाम से दर्ज है। अनुकूल चन्द्र चटर्जी के तीन पुत्र विनय कुमार चटर्जी, सुशील कुमार चटर्जी एवं सुबोध कुमार चटर्जी हुए। सुबोध कुमार चटर्जी को नाबालिग मृत्यु हो गई। विनय कुमार चटर्जी एवं सुशील कुमार चटर्जी की वंशावली निम्नवत् है :–

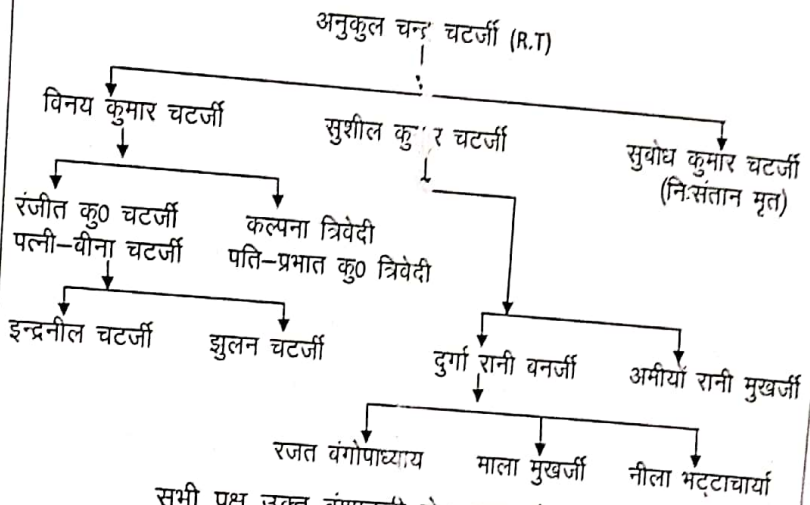

सभी पक्ष उक्त वंशावली से सहमत है एवं इस बिन्दूपर किसी भी पक्षकार की कोई आपति नहीं है। वंशावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रिविजनकर्त्ता, उत्तरवादी स0–01 एवं Intervenor खतियानी रैयत अनुकूल चन्द्र चटर्जी के वंशज है।

रिविजनकर्त्ता द्वारा एवं Amicable Family Settlement एवं नादावीनामा (कल्पना त्रिवेदी द्वारा निष्पादित) संबधी कागजात दाखिल कर दावा किया गया है कि प्रश्नगत भूमि उनकी है एवं उक्त भूमि पर उत्तरवादी स0–01 एवं Intervenor द्वारा अपना दावा वर्षों पूर्व छोड़ दिया गया है। उक्त

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

दोनों ही कागजात अनिबंधित है। Amicable Family Settlement में बिनय कुमार चटर्जी के पुत्र रंजीत चटर्जी एवं सुशील कुमार चटर्जी की प्रथम पुत्री दुर्गा रानी बनर्जी के पुत्र एवं पुत्रियाँ तथा द्वितीय पुत्री अमियो रानी मुखर्जी पक्षकार है। उक्त Family Settlement के प्रत्येक पन्नों में सभी पक्षकारों का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। साथ ही उक्त Family Settlement में केवल पाकुड़ मौजा के तीन दागों का ही उल्लेख है। अनुकुल चन्द्र चटर्जी की अन्य भूमि को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये वस्तुतः पारिवारिक बंटवारा नहीं है अपितु सम्पति का परित्याग करना है। परन्तु अमियो रानी मुखर्जी (Intervenor) के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर किए गए दावे से स्पष्ट है कि वो उक्त Family Settlement को फर्जी मानती है। ऐसी ही स्थिति नादावीनामा कागजात को लेकर भी है जहां कल्पना त्रिवेदी (उत्तरवादी स0–01) के द्वारा उक्त कागजात को फर्जी बताया गया है तथा ऐसे दस्तावेजों के अनिवार्य निबंधन पर जोर दिया गया है। ऐसे में उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता संदिग्ध है। अनिबंधित दस्तावेजों में Valid presentation हुआ है अथवा नहीं यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। जहाँ तक प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा को लेकर है इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा पारित कई न्याय निर्णयों से यह स्थापित कानून है कि एक अंशधारिक का दखल सभी अंशधारिक का दखल माना जाएगा। कुछ न्याय निर्णय निम्नवत् है :–

(1) Possession of One Co-sharer is Possession of all Co-sharer (P. Lakshmi Reddy Vs L. Lakshmi Reddy 1957 SC 314)

(2) The general Principle of law is that in The case of co-owner, the possession of one is, in law, porssession of all, unless ouster or exclusion is roved,To continue to be ijn joint prosession in aw, it is not necessary that he plaintiff should be in actual possession of the whole or part of the property equally it is not necessary that he shoud be getting a share of some income from trhe propelly so lang as his right to a sharer and the nature of the property as joint is not diputed, the law presumes that he is in joint possession inless he is excluded from such prossession (Neelvathi vrs M. Natarajan AER 198 SC 691)

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	(3) It is a well-settled propsiton of law that the prossession of one co-sharer is the possession of all unless a co-sharer ourts the other co-sharer the interest of the other co-sharers will continne and subsist. Mere Porssession without ourter can not deteat the claims of the petitioner" (Bibi Noor Afza khatuoon vrs State of Bihar, CWJC No-1685/1977 par ACJ Sarwar Ali and R.P. MandalJ. Decided on 18.07.1979) इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि रिविजनकर्त्ता उत्तरवादी सं0–01 एवं Intervenor प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत अनुकुल चन्द्र चटर्जी के वंशज एवं उत्तराधिकारी है एवं इस हैसियत से वे प्रश्नगत भूमि के Co-Sharer है। प्रश्नगत भूमि का बंटवारा किए जाने संबंधी कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि संयुक्त सम्पत्ति है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ के दाखिल–खारिज वाद सं0–2772R27/2019-20 की प्रति का अवलोकन किया गया। अभिलेख के साथ रंजीत चटर्जी द्वारा दाखिल कोई Succession Certificate (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि प्रश्नगत भूमि के केवल वे ही एक मात्र वैद्य उत्तराधिकारी है। The Bihar Tenant's Holding (Maintenance of record) Act-1973 की धारा 14 का भी अनुपालन नहीं किया गया है, जिसके तहत 16 आना रैयत के साथ–साथ प्रश्नगत भूमि के हित संबंध व्यक्तियों को भी नोटिस निर्गत किया जाना आवश्यक है। स्पष्टतः उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि को संयुक्त सम्पत्ति माना गया है एवं उत्तरवादी सं0–01 को प्रश्नगत भूमि का अंशधारक। उक्त निष्कर्ष से असहमत होने का कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं है। चूँकि Intervenor निम्न न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, अतः उनके संदर्भ में निम्न न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नही किया गया है। Intervenor अमियों रानी मुखर्जी भी अनुकुल चन्द्र चटर्जी की वंशज एवं उत्तराधिकारी है एवं इस आधार पर प्रश्नगत भूमि के अंशधारक है। रिविजनकर्त्ता द्वारा उत्तरवादी सं0–01 एवं Intervenor के प्रश्नगत भूमि से

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

Ourter होने संबंधी कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया है। चूँकि सुशील कुमार चटर्जी के पुत्री दुर्गा रानी चटर्जी के पुत्र एवं पुत्रियों द्वारा इस वाद में अपना कोई आपत्ति नहीं किया गया है और न ही Intervenor के रूप में अपना दावा रखा गया है अतः उनके संदर्भ में कोई आदेश पारित करना उचित नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में निम्न न्यायालय के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अंचल अधिकारी, पाकुड़ को आदेश दिया जाता है कि Intervenor अमियों रानी मुखर्जी का नाम भी प्रश्नगत भूमि से संबंधित पंजी–।। में एक सप्ताह के अन्दर दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

18/4/23
उ पा यु क्त,
पाकुड़।

18/4/23
उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.07.22 13:02:32 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:2ce1:8868:3557:aab2

Scanned with CamScanner